सोशल मीडिया के लिये सेफ हार्बर प्रावधान

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में फ्राँसीसी पुलिस ने पेरिस के समीप टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव को गिरफ्तार कर लिया (बाद में सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया) जो तकनीकी जवाबदेही (Tech Accountability) में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत है

- यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों में तकनीकी अधिकारियों की भूमिका के संबंध में उनकी कंपनियों पर बढ़ती जाँच को उजागर करती है।
- **दुरोव के खिलाफ आरोप:** टेलीग्राम पर मादक पदार्थों की **तस्करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिंसक प्रचार और संगठित अपराध से संबंधित सामग्री के वितरण** को सक्षम करने का आरोप है।
  - अधिकारियों ने टेलीग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के लिये **कानून प्रवर्तन प्रयासों में सहयोग नहीं करने** का आरोप लगाया।
- **सेफ हार्बर नियम:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिये कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं हैं, जब तक कि वे चिह्नित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या हल करने के लिये कार्रवाई करते हैं, जिससे मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है और यह गारंटी मिलती है कि प्लेटफॉर्म पूर्वव्यापी सामग्री प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार नहीं हैं।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका: संचार शालीनता अधिनियम** की **धारा 230** के तहत **सेफ हार्बर** संरक्षण प्रदान किया गया है, जो प्लेटफार्मों को उपयोगकर्त्ता सामग्री के लिये उत्तरदायी होने से बचाता है।
  - **भारत:** [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#) **की धारा 79 समान सुरक्षा प्रदान करती है।**
    - **[सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021](#)** के अनुसार 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को **एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिसे निष्कासन अनुरोधों या अन्य विनियमों का अनुपालन न** करने पर आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है

और पढ़ें: [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A](#), [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022](#), [नए IT नियम 2021](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/safe-harbour-provision-for-social-media